

1. प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है।

**निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशानिर्देशों के साथ संलग्न हैं :-**

- अनुलग्नक में चयनित केंद्र - I
- बजट विवरण अनुबंध II में दिया गया है।
- बजटीय दिशानिर्देश अनुबंध III पर दिए गए हैं।
- साहसिक शिविर आयोजन के कार्यान्वयन दिशानिर्देश अनुबंध IV पर दिए गए हैं।
- परिचालन दिशानिर्देश अनुबंध V पर दिए गए हैं।
- निमंत्रण फॉर्म -1
- साहसिक शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची फॉर्म -2 में
- नामांकन प्रपत्र फॉर्म -3 पर
- रिपोर्टिंग प्रारूप फॉर्म -4 पर
- प्रतिभागियों के लिए अपेक्षा और फीडबैक प्रपत्र - फॉर्म -5 और 6 पर

2. अनुदानकर्ता संस्थान के खाते सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971, जीएफआर 2005 की धारा 211 के प्रावधान के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय के आंतरिक ऑडिट के तहत, जब भी अनुदानकर्ता को ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

3. अनुदानकर्ता जीएफआर 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र में परिसंपत्तियों का रजिस्टर बना कर रखेंगे। संपत्ति पूरी तरह से या सरकारी अनुदान से अधिगृहीत की गई है, सिवाय इसके कि जिन्हें जनरल में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अप्रचलित और अपरिवर्तनीय के रूप से घोषित किया गया हो इन्हें सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

4. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है तो लोगों को आमंत्रित करते हुए और कार्य/कार्यक्रम/ईवेंट्स आयोजित करते हुए इसे प्रमुखता से उजागर और प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

5. शिविर के दौरान वित्तीय और सामाजिक समावेशन के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता विकसित की जानी चाहिए।

6. आपसे अनुरोध है कि संबंधित नेयुके के जिला युवा समन्वयक से कहें कि वे साहसिक शिविर के आयोजन के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

7. एन.एस.एस और एन.सी.सी की स्थानीय जिला/राज्य इकाइयों को इस कार्यक्रम के सफल/कार्यान्वयन के लिए समन्वित किया जाना चाहिए।

8. साहसिक शिविर के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए :

**• सामाजिक और वित्तीय समावेशन के साथ ही साथ इन्द्रधनुष कार्यक्रम और स्वच्छता गतिविधियों के लिए प्रतिभागियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाना चाहिए।**

• संस्थान और संदर्भ व्यक्तियों का समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

• साहसिक शिविर की रूपरेखा के अनुसार अनुपालन किया जाना चाहिए।

• लाभार्थियों का डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और उसे रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए।

• प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया भी एकत्रित की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।

- कार्यक्रम और नियोजन विवरण की अनुसूची को प्राथमिकता पर एनपीवाइएडी अनुभाग, नेयुकेसं मुख्यालय को project.nyks@gmail.com ईमेल पर भेजा जाना चाहिए।
  - प्रतिभागी का चयन ठीक से किया जाना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुसार)।
9. सभी राज्य निदेशकों, को संलग्न प्रारूप (फॉर्म -7) में साहसिक शिविरों के कार्यान्वयन की योजना, सहायक निदेशक, विशेष कार्यक्रम, एनपीवाइएडी मुख्यालय, नई दिल्ली को 15 जुलाई 2019 तक आवश्यक रूप से भेजनी चाहिए जिससे की निधि जारी की सके। यह कार्यक्रम का दौरा करने के लिए अधिकारियों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
  10. साहसिक शिविर के प्रतिभागियों को आमंत्रित करना मेजबान जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। वह प्रतिभागी केंद्र की भागीदारी की पुष्टि करेगा। यह देखना प्रत्येक राज्य निदेशक का कर्तव्य होगा कि मेजबान केंद्र ने भाग लेने वाले केंद्र को आमंत्रित किया है और मेजबान केंद्र ने भाग लेने वाले केंद्रों को जल्द से जल्द आमंत्रित किया है, और पुष्टि तुरंत प्राप्त की गई है।
  11. योजना कार्यान्वयन के तुरंत बाद प्रतिभागियों का चयन किया जाना चाहिए और इसे संबंधित राज्य निदेशकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम के युवाओं को भी साहसिक शिविरों में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।
  12. प्रतिभागियों के आगमन पर कार्यक्रम से उनकी अपेक्षाओं के बारे में प्रतिभागी के साथ सहभागिता सत्र, और प्रस्थान के समय पर संबंधित राज्य निदेशकों के साथ प्रतिक्रिया सत्र आयोजित किया जाना चाहिए।
  13. जिला प्रशासन और डीएसीवाईपी के समर्थन का भी अनुरोध किया जाना चाहिए।
  14. कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सतर्क और प्रभावी बनाने के लिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, पीआरआई सदस्य; युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधिकारी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तित्व, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी; एसएसीवाईपी और डीएसीवाईपी के अध्यक्ष एवं सदस्य और अन्य जिनके साथ नेयुके सहयोग कर रहे हैं, उन्हें शिविर के दौरान विभिन्न अवसरों पर आमंत्रित किया जाना चाहिए। शिविर के बारे में उनकी टिप्पणी आगंतुक पुस्तिका में ली जानी चाहिए।
  15. कार्यक्रम के व्यापक कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आमंत्रित किया जाना चाहिए।
  16. इस पत्र के साथ संलग्न बजट विवरण के अनुसार ही निधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी डायवर्जन नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आंतरिक शीर्ष डायवर्जन की अनुमति नहीं है खातों का समायोजन वास्तविक व्यय या शीर्ष के तहत अधिकतम स्वीकार्य राशि के आधार पर होगा, जो कभी भी कम होगा। यदि प्रतिभागियों की संख्या कम होगी तो भोजन एवं आवास और अन्य व्यय राशि के अनुसार कटौती की जाएगी।
  17. सही और पूर्ण वास्तविक समय लेखांकन द्वारा समर्थित धन के उपयोग में पारदर्शिता और संभावना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

18. कार्यक्रम की तैयारी के चरण की अवधि के दौरान, जिला युवा समन्वयक को राज्य निदेशकों को साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट भेजनी होगी। राज्य निदेशकों से अनुरोध है कि संकलित साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट उपनिदेशक (कार्यक्रम) कोई मेल आईडी [project.nyks@gmail.com](mailto:project.nyks@gmail.com) पर भेजे।
19. व्यापक निगरानी तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। एक दैनिक रिपोर्ट राज्य निदेशकों द्वारा उपनिदेशक (कार्यक्रम), ने.यु.के.सं., मुख्यालय नई दिल्ली भेज दी जानी चाहिए।
20. संबन्धित राज्य निदेशकों को भी बैठकों के माध्यम से दैनिक आधार पर प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए और इसके बाद मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए, यदि कोई हों तो। इसी तरह, उन्हें महानिदेशक और मुख्यालय द्वारा अग्रेषित निर्देशों के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
21. प्रत्येक साहसिक शिविर के लिए प्रतिभागियों की श्रेणीवार सूची संबंधित जिला युवा समन्वयक द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए, और संकलित सूची को संबंधित राज्य निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रमों के आयोजन के बाद राज्य निदेशक कार्यक्रम के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट संकलित कर प्रस्तुत करेंगे।
22. कार्यक्रम के 07 दिनों के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ दिशानिर्देशों में संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में वास्तविक प्रगति रिपोर्ट को गुणवत्ता कार्रवाई तस्वीरों, प्रेस क्लिपिंग और वीडियो क्लिपिंग द्वारा समर्थित होना चाहिए।
23. रिपोर्ट में मूल्यांकन रिपोर्ट, फीडबैक रिपोर्ट और प्रतिभागियों द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया के विश्लेषण का समावेश भी होना चाहिए।
24. कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त रिपोर्ट की हार्ड प्रतियों (3 प्रतियों) को सॉफ्ट प्रतियों के साथ मुख्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।
25. वास्तविक व्यय पर आधारित और स्वीकृत जारी राशि के भीतर अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र को कार्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य वार केन्द्रों की संख्या जो वर्ष 2019-20 के लिए साहसिक शिविरों के कार्यान्वयन के लिए चुने जा सकते हैं:

क्र.सं.	वेतन एवं लेखा कार्यालय	राज्य	प्रस्तावित जिले का नाम	कुल राशि की गणना 93,750/- @ प्रति शिविर	वेतन एवं लेखा कार्यालय वार जारी की गई कुल राशि		
1	बैंगलोर	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	93,750/-	15,00,000/-		
			विशाखापत्तनम	93,750/-			
2		तेलंगाना	आदिलाबाद	93,750/-			
			हैदराबाद	93,750/-			
3		तमिलनाडु और पुदुचेरी	रामनाथपुरम	93,750/-			
			सलेम	93,750/-			
			कांचीपुरम	93,750/-			
			करूर	93,750/-			
			पुदुचेरी	93,750/-			
4		कर्नाटक	बेलगाम	93,750/-			
			विजयपुरा (बीजापुर)	93,750/-			
			चित्रदुर्ग	93,750/-			
			रायचूर	93,750/-			
5		केरल	कोल्लम	93,750/-			
			तिरुवनंतपुरम	93,750/-			
			अलाप्पुझा	93,750/-			
6	गांधी नगर	गुजरात	वलसाड	93,750/-	12,18,750/-		
			हिम्मतनगर	93,750/-			
			पालनपुर	93,750/-			
			डांग	93,750/-			
7		छत्तीसगढ़	सूरजपुर	93,750/-			
			रायगढ़	93,750/-			
8		मध्य प्रदेश	सातारा	93,750/-			
			भोपाल	93,750/-			
			इंदौर	93,750/-			
9		महाराष्ट्र और गोवा	ठाणे	93,750/-			
			कोल्हापुर	93,750/-			
			भंडारा	93,750/-			
			हिंगोली	93,750/-			
10		अलीपुर	दिल्ली	दिल्ली		93,750/-	17,81,250/-
11			राजस्थान	बीकानेर		93,750/-	
				सिरोही		93,750/-	
	कोटा			93,750/-			
	जयपुर			93,750/-			
12	हरियाणा		कुरुक्षेत्र	93,750/-			
			सिरसा	93,750/-			
			अंबाला	93,750/-			
		जींद	93,750/-				
13	पंजाब और चंडीगढ़	जालंधर	93,750/-				
		पटियाला	93,750/-				
		पठानकोट	93,750/-				
		फतेहगढ़ साहिब	93,750/-				

क्र.सं.	वेतन एवं लेखा कार्यालय	राज्य	प्रस्तावित जिले का नाम	कुल राशि की गणना 93,750/- @ प्रति शिविर	वेतन एवं लेखा कार्यालय वार जारी की गई कुल राशि
14	अलीपुर	हिमाचल प्रदेश	कैलॉग	93,750/-	
			धर्मशाला	93,750/-	
			मंडी	93,750/-	
15		जम्मू और कश्मीर	जम्मू	93,750/-	
			बडगाम	93,750/-	
			कठुआ	93,750/-	
16	गुवाहाटी	सिक्किम	गैज़िंग	93,750/-	17,81,250/-
17		असम	शिवसागर	93,750/-	
			बक्सा	93,750/-	
			हॉफलांग	93,750/-	
			जोरहाट	93,750/-	
			दिफू	93,750/-	
18		अरुणाचल प्रदेश	बोमडिला जिला मुख्यालय पश्चिम केमोंग	93,750/-	
			अलॉग	93,750/-	
19		मेघालय	जोवाई	93,750/-	
20		नागालैंड	कोहिमा	93,750/-	
			फेक	93,750/-	
21		मणिपुर	पेंसी	93,750/-	
			बिश्नुपुर	93,750/-	
22		त्रिपुरा	धर्मनगर	93,750/-	
23	मिजोरम	सेरछिप	93,750/-		
24	ओडिशा	संबलपुर	93,750/-		
		गंजम	93,750/-		
		मयूरभंज	93,750/-		
		पुरी	93,750/-		
25	बिहार	बेतिया	93,750/-		
		नालंदा	93,750/-		
		पूर्वी चंपारण	93,750/-		
		गया	93,750/-		
		पटना	93,750/-		
26	पश्चिम बंगाल	नादिया	93,750/-		
		उत्तर दिनाजपुर	93,750/-		
		हावड़ा	93,750/-		
		कूच बिहार	93,750/-		
27	झारखंड	दार्जिलिंग	93,750/-		
		देवघर	93,750/-		
		गुमला	93,750/-		
	पलामू	93,750/-			
28	उत्तराखंड	हरिद्वार	93,750/-	12,18,750/-	

क्र.सं.	वेतन एवं लेखा कार्यालय	राज्य	प्रस्तावित जिले का नाम	कुल राशि की गणना 93,750/- @ प्रति शिविर	वेतन एवं लेखा कार्यालय वार जारी की गई कुल राशि
29	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	93,750/-	9,37,500/-
			मेरठ	93,750/-	
			अलीगढ़	93,750/-	
			हाथरस	93,750/-	
			मिर्जापुर	93,750/-	
			सोनभद्र	93,750/-	
			कन्नौज	93,750/-	
			मथुरा	93,750/-	
			वाराणसी	93,750/-	
<b>कुल</b>				<b>84,37,500/-</b>	<b>84,37,500/-</b>

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
साहसिक शिविर 2019-20 के लिए बजट विवरण

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट के 90% राशि की पहली किश्त रुपये 84,37,500/- (रुपए चौरासी लाख सैंतीस हजार पांच सौ केवल ) महानिदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन , भूतल, 4 जीवन दीप भवन, संसद माग, नई दिल्ली – 110001 को जारी की गई हैं। इसलिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की एनपीवाईएडी योजना के तहत साहसिकता को प्रोत्साहन के घटक के तहत वर्ष 2019-20 के लिए 90 साहसिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु में)
1.	बोर्डिंग और टेंटेज के लिए रु 250/- प्रति व्यक्ति 7 दिनों के लिए 25 युवा (25×250×07) लिए	43,750/-
2.	यात्रा भत्ता 25 व्यक्तियों के लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति (25×500)	12,500/-
3.	ट्रेकिंग/ कैम्पिंग उपकरण किराया/ एकमुश्त आधार पर खरीद के लिए	25,000/-
4.	आकस्मिकता	12,500/-
<b>कुल</b>		<b>93,750/-</b>

एक शिविर के लिए बजट रुपये 93,750/- 90 शिविरों के लिए रुपये 93,750 X 90 = रुपये 84,37,500 /-

कार्यान्वयन योजना की प्राप्ति के बाद उपर्युक्त स्वीकृत बजट अनुबंध-1 में सूची के अनुसार शिविरों के आयोजन के लिए जारी किया जाएगा।

**इसके अलावा यह निर्देशित किया जाता है कि:**

रसीद एवं भुगतान विवरण, आय और व्यय विवरण और बैलेंस शीट और पूर्ववर्ती पैरा पर उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ शिविरों के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जीएफआर 2004 के नियम 150 (5) के अनुसार अनुदान द्वारा शुरू किए जाने वाले सरकारी अनुदान के आरंभिक और सहायक खातों के संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंट द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच की जानी चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र कि उपयोग की गई राशि से निर्धारित और गुणात्मक लक्ष्य प्राप्त किया गया और यदि नहीं तो इसके कारणों को उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाया जा सकता है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन

साहसिक शिविर 2019 -20 के लिए बजटीय मार्ग निर्देशिका  
नेयकेस को स्वीकृति देते हुए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने कड़ाई से उल्लेख किया है कि:

(i) अनुदान-सहायता की राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है और कार्यक्रम के संचालन के तुरंत बाद सहायता अनुदान को अनुदानदाता संस्था को वापस कर दिया जाएगा।

(ii) अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान या किसी अन्य संस्था या संगठन से संबंधित योजना या कार्य का निष्पादन नहीं करेगा और अनुदान के नियमों और शर्तों का पालन करेगा। यदि अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान का उपयोग करने में विफल रहता है, तो जिस उद्देश्य के लिए उसे मंजूरी दी गई है, उसके लिए अनुदानकर्ता को प्रति वर्ष @ 10% की दर से अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि वापस करनी आवश्यक होगी।

(iii) जब भारत सरकार/राज्य सरकार के पास यह मानने के कारण हैं कि स्वीकृत उद्देश्यों के लिए स्वीकृत धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो अनुदान का भुगतान रोक दिया जाएगा।

(iv) अनुदानकर्ता को अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन में उचित अर्थव्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए।

(v) यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थी 15-29 वर्ष की आयु में होना चाहिए और पंचायती राज संस्थानों के परामर्श से पहचान की जानी चाहिए। चूंकि राष्ट्रीय युवा नीति आदिवासी, स्कूल से बाहर, विकलांग युवाओं/किशोरों, कठिन परिस्थितियों में युवाओं, अनुदान प्राप्त संस्था/संगठन को इन व्यक्तियों का उचित प्रतिनिधित्व शिविरों में सुनिश्चित करना चाहिए। अनुदान दाता संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 16.20% प्रतिभागी एससी श्रेणी से हों और 8.20% प्रतिभागी एसटी वर्ग से हों। यह भी ध्यान दिया जाए है कार्यक्रमों का संचालन करते समय महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की सूची अलग से तैयार की जाए और प्रतिभागियों की सूची के साथ नेयुकेस, मुख्यालय नई दिल्ली को भेजी जाए।

(vi) यह तथ्य कि कार्यक्रम को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है, कार्यक्रमों आदि में लोगों को आमंत्रित करते समय प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
साहसिक शिविर 2019-20  
कार्यान्वयन की योजना (आयोजन केंद्र के राज्य निदेशक द्वारा तैयार किया जाना)

वेतन एवं लेखा कार्यालय..... राज्य..... राज्य निदेशक का नाम.....

क्र. सं.	राज्य	आवंटित किए गए साहसिक शिविरों की संख्या	आयोजक केन्द्र का नाम	साहसिक शिविर की तिथि और अवधि और स्थान	लाभार्थियों की संख्या लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न करें (नाम, आयु, लिंग, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड संख्या)	साहसिक गतिविधियों के प्रकार	चयनित एजेसी का नाम और पता	संदर्भ व्यक्तियों के नाम	गतिविधियों की दैनिक अनुसूची अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न करें (गतिविधियों के नाम, गतिविधियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, साहसिक संस्थान का नाम, संदर्भ व्यक्तियों की संख्या)	प्रतिभागी केन्द्र		
										नाम	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1										1-		
										2-		
										3-		
										4-		
										5-		
2										1-		
										2-		
										3-		
										4-		
										5-		
3										1-		
										2-		
										3-		
										4-		
										5-		

लेखा अधिकारी द्वारा तैयार .....

राज्य निदेशक द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित .....

**नोट:** कार्यान्वयन की यह योजना जल्द से जल्द ईमेल द्वारा नेयकेस, मुख्यालय नई दिल्ली (project.nyks@gmail.com) और को शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**नेहरू युवा केंद्र संगठन  
साहसिक कार्यक्रमों के संगठन के लिए दिशानिर्देश  
2019-20**

**परिचय**

युवा किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) नाम की इस योजना का गठन 10 वीं योजना के दौरान 100% केंद्रीय क्षेत्र अनुदान-सहायता योजनाओं के विलय के रूप में किया गया है, जैसे :- 10 वीं योजना के दौरान, युवा गतिविधियां और प्रशिक्षण संवर्धन, राष्ट्रीय एकता, साहसिक कार्य और विकास को बढ़ावा देना और किशोरों का सशक्तिकरण।

साहसिकता को बढ़ावा देना एनपीवाईएडी योजना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। साहसिक गतिविधियों से युवाओं में जोखिम की भावना, सहकारी टीमवर्क, चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए तैयार और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की क्षमता और धीरज पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।

यह युवाओं की प्रचुर ऊर्जा, उत्साह और कल्पना के लिए एक रचनात्मकता और खुशहाली भी प्रदान करता है। जबकि सभी युवाओं को खुद को साहसिक सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए, यह योजना विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और गैर-छात्र युवाओं की सेवा करने का इरादा रखती है, जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-छात्र युवा लोगों पर विशेष जोर देते हैं।

**उद्देश्य:**

- युवाओं में रोमांच और जोखिम उठाने की भावना को प्रोत्साहित करना।
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देने के साथ प्रकृति संरक्षण को बढ़ाना।

**परियोजना के बारे में:**

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदन सं. जी 12011/1/ 2018-एनपीवाईएडी दिनांक 25-8-2018 के द्वारा रुपये 93,75,000 /- (रुपये तिरानवे लाख पचत्तर हजार केवल) @ रुपये 93,750 / प्रति शिविर - वर्ष 2017-18 के लिए 100 साहसिक शिविरों के आयोजन के लिए 90% स्वीकृत राशि रुपये 84,35,500/- है। इसलिए साहसिक शिविर के आयोजन हेतु 90% राशि **अनुबंध-** 1 के अनुसार रुपये 93,750 /- प्रति शिविर और कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करने के आधार पर जारी की जा रही है।

**शिविरों की गतिविधियाँ:-**

1. गतिविधियों में शामिल होंगे ग्राउंड/रॉक: अच्छी तरह से स्थापित ट्रेकों पर ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, रिपेलिंग, सफ़ारीस, कृत्रिम रॉक/दीवार पर चढ़ाई।
2. जलीय : सफेद जलीय राफ्टिंग, कयाकिंग और कैनोइंग, लंबी तैराकी, जलीय खेल।
3. वायु: पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग।

इनके अलावा, साहसिक शिविर के दौरान प्रतिभागियों द्वारा हर रोज एक सफाई अभियान चलाया जाएगा और राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर प्रतिभागियों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए विशेषज्ञों और संदर्भ व्यक्तियों की मदद से विशेष सत्र भी आयोजित किए जाने चाहिए।

• सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए और साथ ही साथ इन्द्रधनुष कार्यक्रम और स्वच्छता गतिविधियों के लिए प्रतिभागियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाना चाहिए।

- संस्थान और संदर्भ व्यक्तियों का समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- साहसिक शिविर की रूपरेखा के अनुसार अनुपालन किया जाना चाहिए।
- लाभार्थियों का डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और उसे रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए।
- प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया एकत्रित की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजा जाये।
- कार्यक्रम और नियोजन विवरण की अनुसूची को प्राथमिकता पर एनपीवाइएडी अनुभाग और साथ ही साथ महानिदेशक को सीधे उनकी ईमेल पर भेजा जाना चाहिए, अगर नहीं भेजा तो यह माना जाएगा कि जिला युवा समन्वयक साहसिक शिविर का संचालन नहीं कर रहा है/नहीं किया गया है।
- प्रतिभागी का चयन ठीक से किया जाना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुसार)

- प्रधानमंत्री जन धन योजना, (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री
- मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना)।
- मुद्रा बैंक (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री-फाइनेंस एजेंसी)।
- स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल भारत अभियान- शौचालयों का निर्माण।
- डिजिटल इंडिया।
- मेक इन इंडिया।
- कौशल भारत।
- बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ अभियान।
- सुशासन और नागरिक जिम्मेदारियों का अभ्यास और संवर्धन।
- सासंद आदर्श ग्राम योजना में प्रतिभागिता।
- श्रमदान - युवाओं को अपने क्षेत्रों में एक वर्ष (2 घंटे एक सप्ताह) में स्वैच्छिक आधार पर 100 घंटे समर्पित करने के लिए प्रेरित करना।
- युवाओं और जनता के लाभ के लिए अन्य योजनाएं।

## मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थानों का नाम

1. राष्ट्रीय जल खेल संस्थान, गोवा
2. एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
3. नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी (उत्तराखंड)
4. हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल 734202, फोन : 3542254087, ईमेल [hmi\\_darj@rediffmail.com](mailto:hmi_darj@rediffmail.com) [darjeeling-tourism.com](http://darjeeling-tourism.com)
5. स्वामी विवेकानंद पर्वतारोहण संस्थान, माउंट आबू (राजस्थान)
6. जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड वाटर स्पोर्ट, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर
7. नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, मयूर विहार 1 एक्सट, दिल्ली -110091
8. अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट, मनाली।
9. भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान, गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर।
10. पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण, उत्तराखंड
11. नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन कर्नाटक, नं. 73, एम. आई. जी., हुडको, बन्नीमंतप, मैसूर 570015, कर्नाटक, भारत
12. नागालैंड एसोसिएशन फॉर एडवेंचर, माउंटेनियरिंग एंड एजुकेशन (NAAME) पोस्ट बॉक्स नंबर 742.पीओ कोहिमा, नागालैंड 797001। नागालैंड राज्य 919856071077 roko\_naame@yahoo.com

13. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स द्वारा 99 एपीओ, पश्चिम कामेंग, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश 790101, फोन: 097747 31855।

14 सोनम ग्यात्सो पर्वतारोहण संस्थान सुंगवा, गंगटोक, सिक्किम 737101, फोन: 03592 222 044। 15। अन्य सरकार एडवेंचर के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थान

### **प्रतिभागियों का चयन:**

केवल 25 प्रतिभागी अपनी अभिरुचि के अनुसार एक साहसिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

राज्य निदेशक/ मेजबान नेयुके प्रतिभागी नेयुके को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करेगा केवल उन युवाओं के चयन किया जाए जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं।

- प्रतिभागियों का आयु वर्ग 15-29 के बीच होना चाहिए।
- सभी प्रतिभागियों को नेयुके से जुड़े युवा क्लबों का सदस्य होना चाहिए और साहसिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- सांसद आदर्श ग्राम के युवाओं को साहसिक शिविरों में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।
- महिलाओं, अज /अजजा /अपिजा को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। प्रतिभागियों में से कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए।
- सभी प्रतिभागियों को साहसिक कार्यक्रम के लिए नियोजित सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार और सक्षम होना चाहिए।
- पिछले साहसिक शिविर के प्रतिभागियों को चयन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सभी भाग लेने वाले युवाओं को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे अपने माता-पिता द्वारा निर्धारित किए गए प्रोफार्मा में एक घोषणा प्रस्तुत करें, जिससे वे अपने जोखिम पर कार्यक्रम में शामिल हो सकें। उसी के लिए विकसित प्रोफार्मा को निमंत्रण पत्र के साथ प्रतिभागियों के केन्द्रों को परिचालित किया जाता है।

### **समन्वय/सुरक्षा उपाय:**

प्रत्येक कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्र में सिद्ध विशेषज्ञता के एक मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय साहसिक फाउंडेशन और अन्य समान संस्थानों की सहायता लें। किसी भी चूक से बचने के लिए साहसिक कार्यक्रम का आयोजन करते समय सभी निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

### **प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया:**

साहसिक शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया शिविर से पहले ली जानी चाहिए और कैंप पूरा होने के बाद (फॉर्म 5 और 6) और फीडबैक के प्रभावली विश्लेषण को तैयार किया जाना चाहिए और प्रोग्राम रिपोर्ट के साथ पुनः भेजा जाना चाहिए।

**प्रारूप-** आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बांड और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप नीचे दिया गया है जिसे आवेदक द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन के समय भरा जाना चाहिए।

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
स्वायत्तशासी संस्था  
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार  
साहसिक शिविर, 2019.20

आवेदन पत्र  
(मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और क्षतिपूर्ति बॉन्ड के साथ जमा किया जाना है)

नाम: - .....  
.....  
पिता का नाम/पति या पत्नी का नाम: - .....  
जन्म तिथि: - ..... आयु 1 जून 2017 को .....

प्रतिभागियों के  
विधिवत पासपोर्ट  
आकार के  
फोटोग्राफ को  
चिपकाने के लिए  
जगह

लिंग: - .....  
.....  
शैक्षिक योग्यता:- .....

जनजाति का नाम: - .....  
पूरा पता, पिन कोड के साथ: - ..... स्वयं  
और अभिभावक दोनों) एसटीडी कोड के साथ फोन नंबर/मोबाइल नंबर पर संपर्क करें:

.....  
साहसिक शिविर में पहले भाग लिया या नहीं .....  
क्या युवा मंडल/महिला मंडल के सदस्य .....  
युवा कार्य या सामुदायिक सेवा में अनुभव .....  
इस कार्यक्रम से आपकी क्या उम्मीदें हैं। .....

**बैंक खाते के विवरण:-**

बैंक खाता संख्या: ----- आधार संख्या:-----  
बैंक का नाम: -----  
MICR कोड : ----- IFSC कोड :-----

**नाम और पता दो संदर्भों के टेलीफोन नंबर**

**संदर्भ 1 का विवरण: -**

-  
नाम: -----  
-----  
पता: -----  
-----  
टेलीफोन/मोबाइल नंबर -----  
-----

**संदर्भ 2 का विवरण:**

नाम: -----  
पता: -----  
टेलीफोन/मोबाइल नंबर

मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी वचन दे रहा हूँ कि मैंने अपने माता-पिता/अभिभावक को साहसिक शिविरों में भाग लेने के लिए सूचित कर दिया है।

**आवेदक का हस्ताक्षर**

(नाम .....

स्थान:  
दिनांक:

**नेहरू युवा केंद्र संगठन**  
**क्षतिपूर्ति बांड**  
**(आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करने के लिए)**  
**साहसिक शिविर, 2019-20**

मैं, -----का सुपुत्र/सुपुत्री, -----गांव का निवासी -  
-----, जिला -----  
----- यह घोषणा करता/करती हूँ कि साहसिक शिविर 2019-20 के प्रतिभागी के रूप में, मैं स्वेच्छा से साहसिक शिविर के कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेता/लेती हूँ और मुझे साहसिक शिविर (साहसिक शिविर और वापसी के कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए यात्रा सहित) की विस्तृत जानकारी दी गई है और किसी भी परिस्थिति में मैं किसी के लिए कोई दावा नहीं करूंगा/करुंगी। चोट या कोई दुर्घटना जो मुझे साहसिक शिविर 2019-20 के कार्यक्रम और गतिविधियों के दौरान हो सकती है।

मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि नेयुकेसं और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार इस कार्यक्रम और गतिविधि के दौरान मेरे द्वारा किसी भी दुर्घटना/हानि/चोट के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा/होऊंगी।

.....  
**(प्रतिभागी का हस्ताक्षर)**

नाम-----

दिनांक-----

.....  
**(माता-पिता का हस्ताक्षर)**

नाम-----

दिनांक-----

.....  
**गवाह 1 का हस्ताक्षर:**

नाम-----

--

दिनांक -----

.....  
**गवाह 2 का हस्ताक्षर:**

नाम -----

दिनांक -----

**मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट**  
(एमबीबीएस से नीचे की डिग्री नहीं रखने वाले पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित होना)  
(आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करने के लिए)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) नाम) :-----

आयु -----लिंग:-----

पूरा पता: - -----

पिता का नाम:- -----

ऊंचाई -----वजन:-----

रक्त समूह और आरएच फैक्टर: ----- छाती: -----

दिल और फेफड़े: -----

दृष्टि: दायां----- बायां-----

रंग दृष्टि: -----

सुनवाई: -----

हर्निया/हाईड्रोसील/बवासीर: -----

टिप्पणी:-----

अभ्यार्थी का  
पासपोर्ट साईज  
फोटो

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री/कुमारी/श्रीमती की सावधानीपूर्वक जांच की है। -----  
----- पुत्र/पुत्री की -----, जिन्होंने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए  
हैं। उसे कोई मानसिक और शारीरिक बीमारी नहीं है और वह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फिट  
है।

**उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

**मोहर और पंजीकरण संख्या के साथ चिकित्सा अधिकारी के**

नाम: -----

स्थान:-----

दिनांक:-----

नेहरु युवा केन्द्र संगठन  
निमंत्रण फार्म  
(साहसिक शिविर में भाग लेने के लिए)

सेवा में,

जिला युवा समन्वयक  
नेहरु युवा केन्द्र (सहभागी केन्द्र का नाम)

प्रिय साथियों,

नेहरु युवा केन्द्र (नाम) द्वारा आयोजित किए जा रहे साहसिक शिविर में भाग लेने के लिए मुझे  
..... (प्रतिभागियों की संख्या) को इस अवसर  
पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आमंत्रित करना है।

1. साहसिक शिविर आयोजित करने वाले नेहरु युवा केन्द्र का नाम .....
2. पता.....
3. फोन नम्बर .....
4. ई-मेल आईडी .....
5. साहसिक शिविर की तिथि ..... से..... तक
6. साहसिक शिविर का स्थान .....
7. साहसिक शिविर के आयोजन स्थल पर कैसे पहुंचा जाये.....
9. संपर्क व्यक्तियों और उनके मोबाईल एवं लैंड लाईन नम्बर

(ए) जिला युवा समन्वयक.....

(बी) लेखालिपिक-सह-टंकक.....

इसलिए आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में भाग लेने वाले के विवरण को नवीनतम रूप से भेजें  
(प्रतिभागी केन्द्र से प्रतिभागियों के विवरण की अंतिम तिथि) .....

भवदीय,

जिला युवा समन्वयक  
नेहरु युवा  
केन्द्र.....  
(आयोजक केन्द्र का नाम)

संलग्न: उपरोक्तानुसार (प्रपत्र) एवं घोषणा पत्र।

प्रतिलिपि - 1. राज्य निदेशक (मेजबान केन्द्र)

2. आर.एन.त्यागी, उपनिदेशक, एनपीवाईएडी, नेयुकेसं मुख्यालय, नई दिल्ली

**साहसिक शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची**  
(प्रतिभागियों द्वारा चुने गए केन्द्र और दल को भेजने के लिए यह अनिवार्य है)  
(फार्म- III के साथ जमा किया जाना है)

(ए) भाग लेने वाले केन्द्र का नाम .....

(बी) प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	आवंटित किए गए साहसिक शिविरों की संख्या	क्र.सं.	शिविरों का स्थान	दिनांक	सहयोग करने वाली एजेंसियों की पहचान (एनसीसी एवं एनएसएस) सहित	क्षेत्रों की पहचान

\*\*अ.जा. वर्ग की 16.20% और अ.ज.जा वर्ग की 8.20% भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

\*कार्यक्रम में भागीदारी के लिए महिलाओं (30%) और शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(सी) रेलगाड़ी का नाम एवं नम्बर.....

(डी) उनकी यात्रा की शुरुआत दिनांक एवं समय.....

(ई) स्टेशन पर रेलगाड़ी के आने का अनुमानित समय .....

(एफ) उनकी वापसी यात्रा का विवरण (दिनांक एवं रेलगाड़ी का नाम) .....

**प्रतिभागी केन्द्र के जिला युवा समन्वयक के हस्ताक्षर**

नाम.....

केन्द्र की मोहर.....

दिनांक.....

स्थान.....

नेहरु युवा केन्द्र संगठन  
साहसिक शिविर के लिए नामांकन फार्म  
(प्रतिभागियों द्वारा चुने गए केन्द्र और दल को भेजने के लिए यह अनिवार्य है)

- (ए) शिविर का आयोजन करने वाले केन्द्र का नाम.....  
(बी) शिविर की तिथि और अवधि.....  
(सी) शिविर का स्थान .....

(डी) प्रतिभागियों की सूची और प्रतीक्षा सूची .....

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/सामान्य)	मोबाईल नं./ आधार नं.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<b>प्रतीक्षा सूची वाले प्रतिभागियों का नाम</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

\*\*अ.जा. वर्ग की 16.20% और अ.ज.जा वर्ग की 8.20% भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।  
(ई) शिविर में भाग लेने के लिए दल की यात्रा की योजना।

- (i) प्रस्थान तिथि.....और समय .....
- (ii) शिविर में आगमन की तिथि.....और समय.....

प्रतिभागी केन्द्र के जिला युवा समन्वयक के हस्ताक्षर  
(जिला युवा समन्वयक का नाम)

कार्यालय की मोहर

**नेहरु युवा केन्द्र संगठन**  
**साहसिक शिविर 2019-20, सारांश रिपोर्टिंग प्रारूप और विस्तृत रिपोर्ट के लिए अंक**  
**(आयोजन केन्द्र के जिला युवा समन्वयक द्वारा तैयार किया जाना है)**  
**भाग-ए**

वेतन एवं लेखा कार्यालय.....राज्य.....राज्य निदेशक का नाम.....  
 जिला नेहरु युवा केन्द्र.....जिला युवा समन्वयक का नाम.....

1. साहसिक शिविर की गतिविधियों को करने के लिए सहयोगी एजेंसी का नाम .....
2. तिथि: .....से.....तक
3. साहसिक शिविर का स्थान .....
4. विभागों और एजेंसियों का सहयोग (एनएसएस और एनसीसी सहित) .....

**5. संसाधन जुटाये:**

(ए) सामग्री (प्रकार) मात्रा कीमत (रुपयों में) एनसीसी और एनएसएस के सहयोग

- 1.
- 2.
- 3.

(बी) निधि (रुपयों में)

6. विषय विशेषज्ञों का नाम और उनके विशेषज्ञता क्षेत्र जो साहसिक शिविर प्रतिभागियों को संबोधित करते हैं।

(ए) **विषय विशेषज्ञ का नाम** **विशेषज्ञता क्षेत्र**

- i.
- ii.
- iii.
- iv.

7. साहसिक शिविरों में गणमान्य व्यक्तियों/वी.आई.पी. के नाम एवं पदनाम

(ए) **गणमान्य व्यक्तियों/वी.आई.पी. के नाम** **पदनाम**

- i.
- ii.
- iii.
- iv.

8. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ

- i.
- ii.
- iii.
- iv.

**9. प्रतिभागियों का विवरण**

क्र.सं.	प्रतिभागी
---------	-----------

	राज्य	जिला	अ.जा.		अ.ज.जा.		अन्य पिछड़ा वर्ग		अल्प संख्यक		दिव्यांग		सामान्य		कुल		कुल योग	
			पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7	सांसद आदर्श ग्राम से श्रेणीवार प्रतिभागियों की संख्या																	
<b>कुल योग</b>																		

यह प्रमाणित है कि साहसिक शिविर में सभी प्रतिभागी 15-29 वर्ष की आयु के थे और उपर्युक्त गतिविधियाँ और कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। इस रिपोर्ट को कार्रवाई की तस्वीरों, प्रेस क्लिपिंग्स और वीडियो क्लिप के साथ विस्तृत तथा रिपोर्टों के साथ भेजा जाएगा।

राज्य निदेशक के हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर

जिला युवा समन्वयक के

नेहरू युवा केन्द्र संगठन  
साहसिक शिविर

दिनांक .....से.....  
स्थान .....

प्रतिभागियों से अपेक्षा  
(प्रतिभागियों द्वारा आने पर भरी जाने वाली प्रश्नावली)

1. आप साहसिक शिविर में क्यों भाग लेना चाहते थे?

---

---

---

2. क्या आपने कभी अपने जिले के बाहर किसी जगह का दौरा किया है? यदि हाँ, तो आपका अनुभव क्या था?

---

---

---

3. इस कार्यक्रम से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?

---

---

---

4. क्या आपके मित्र/रिश्तेदार आपके जिले के बाहर हैं-----हां/नहीं यदि हाँ, तो उस जगह का नाम दें -----

---

---

---

5. दोस्ती, अच्छे भोजन, अच्छे स्वास्थ्य और भाईचारे के बारे में आपकी क्या राय है और इनको मजबूत करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे?-----

---

---

---

6. क्या आप नेहरू युवा केंद्र या सरकार के अन्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं। अपने जिले में, यदि हाँ, कृपया विस्तार से बताएं।-----

---

---

---

7. आप किन कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। (अच्छी तरह से स्थापित ट्रैक, रॉक क्लाइम्बिंग, रिपेलिंग, सफ़ारी, कृत्रिम रॉक/दीवार पर चढ़ना, सफेद पानी राफ़्टिंग, कयाकिंग और कैनोइंग, लंबी तैराकी, जल खेल, पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग इत्यादि) कृपया उल्लिखित करें ?-----

---

---

---

8. आपके शौक क्या हैं? कृपया निर्दिष्ट करें

---

---

---

9. समाज में साहसिक गतिविधियों को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

---

---

---

10. इस कार्यक्रम से आप क्या विशेष रूप से सीखना और अनुभव प्राप्त करना चाहेंगे?

---

---

---

11. कोई अन्य बिंदु जिसका आप उल्लेख करना चाहते हैं —

---

---

दिनांक : .....

हस्ताक्षर.....

स्थान : .....

नाम.....

पता.....

मोबाईल नं./आधार नं.....

प्रतिभागियों के लिए फीडबैक प्रपत्र  
(कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों द्वारा भरी जाने वाली प्र[] नावली)

1. प्रतिभागी का नाम (वैकल्पिक)-----  
 2. शिविर के पहले दिन आने पर आपकी पहली भावना क्या थी और अब आपके विचार और प्रभाव क्या हैं?  
 -----  
 -----  
 -----

3. क्या आपने इस कार्यक्रम के दौरान कोई दोस्त बनाया है यदि हाँ, तो रुचि के कितने और सामान्य क्षेत्र हैं?  
 -----  
 -----  
 -----

4. आपने इस कार्यक्रम के बारे में कितना प्रभावित किया

कार्यक्रम के विषय-----  
 कक्षा कक्ष सत्र-----  
 संस्कृति-----  
 अन्य शिविर गतिविधि-----  
 संदर्भ व्यक्ति के संपर्क का तरीका-----

5. क्या इस कार्यक्रम ने साहसिक विषय के बारे में आपके ज्ञान को समृद्ध किया?  
 -----  
 -----  
 -----

6. किस तरह से आपको लगता है कि आप समाज में जिम्मेदार और उत्पादक युवाओं की परवरिश में योगदान दे सकते हैं?  
 -----  
 -----  
 -----

7. अपने इलाके में किशोरों को मुख्यधारा में लाने के लिए साहसिक शिविर में भाग लेने के बाद आप क्या भूमिका निभाएंगे?  
 -----  
 -----  
 -----

8. आप अपने लाभ के लिए अपने साथियों के समूह में साहसिक शिविर में प्राप्त की गई जानकारी का प्रसार कैसे करेंगे?  
 -----  
 -----  
 -----

9 साहसिक शिविर के आयोजन में आप क्या सुधार सुझाएंगे? कार्यक्रम में किन गतिविधियों को आप जोड़ना चाहते हैं/हटाना चाहते हैं।

---

---

---

10. आपका समग्र प्रभाव:

भोजन और आवास:- \_\_\_\_\_

कार्यक्रम और गतिविधियाँ: - \_\_\_\_\_

संदर्भ व्यक्ति के साथ बातचीत \_\_\_\_\_

युवाओं के साथ बातचीत: - \_\_\_\_\_

11. कोई अन्य टिप्पणी जो आप उपरोक्त बिंदुओं से अलग दर्ज करना चाहते हैं।

---

---

---

दिनांक : .....

हस्ताक्षर.....

स्थान : .....

नाम.....

पता.....

मोबाईल नं./आधार नं.....

साहसिक शिविर की विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित तरीके से (3 प्रतियों में) आनी चाहिए

साहसिक शिविर रिपोर्ट की सामग्री में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: –

1. फ्रंट और बैक कवर पेज (नमूना संलग्न)
2. फोटो कोलाज फ्रंट और बैक पेज के आंतरिक आवरण में दिया जा सकता है।
3. युवाओं पर माननीय प्रधान मंत्री का उद्धरण
4. राज्य में युवाओं की स्थिति
5. नेयुकेसं की साख
6. पृष्ठभूमि और संदर्भ
7. उद्देश्य (साहसिक शिविर के दिशा निर्देशों के अनुसार)
8. साहसिक शिविर में भाग लेने वाले युवाओं की पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी।
9. रणनीति लागू करना।
10. किट में दी गई सामग्री जैसे। आईईसी सामग्री, पुस्तिकाएं आदि।
11. रिपोर्टिंग प्रोफार्मा (फॉर्म –4) के साथ कार्यक्रम और गतिविधियों का विवरण विधिवत रूप से प्रासंगिक कार्रवाई तस्वीरों की अधिकतम संख्या द्वारा समर्थित है जिसमें शामिल होना चाहिए: –

- साहसिक गतिविधियों पर कार्रवाई चित्र (साहसिक दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मुख्य मुद्दों पर)

साहसिक शिविर में प्रत्येक गतिविधि पर लिखें	उस गतिविधि के फोटो दिए जाने चाहिए
साहसिक शिविर में अन्य गतिविधि पर लिखें	उस गतिविधि के फोटो दिए जाने चाहिए

12. वित्तीय निहितार्थ (अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना)।
13. प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया (फॉर्म –5 और 6)
14. परिणाम और निष्कर्ष
15. रिपोर्ट को नमूना निमंत्रण कार्ड, प्रेस क्लिपिंग और ऑडियो वीडियो सीडी के साथ भेजा जाना चाहिए।
16. वीआईपी, राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सूची कार्यक्रम में शामिल हुई।
17. प्रेस क्लिपिंग का कोलाज



## साहसिक शिविर



Nehru Yuva Kendra sangathan

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

साथ साथ  
कल की ओर..



युवा एवं किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत (एन पी वाई ए डी ) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार

कवर पृष्ठ का नमूना

आयोजक

नेहरू युवा केंद्र संगठन .....

(युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार )

दिनांक :-..... से ..... तक

स्थान ..... जिला .....राज्य .....



"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए"

-स्वामी विवेकानंद



## साहसिक शिविर



नेहरु युवा केन्द्र संगठन  
**साथ साथ**  
**कल की ओर..**

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम योजना के तहत,  
 युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार


### Sample Back Page

आयोजक.

नेहरु युवा केन्द्र.....

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार

दिनांक -----से -----तक  
 शिविर स्थल का नाम----- जिला----- राज्य-----



"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए"

-स्वामी विवेकानंद

नेहरू युवा केंद्र संगठन  
साहसिक शिविर 2019-20  
कार्यान्वयन की योजना (आयोजन केंद्र के राज्य निदेशक द्वारा तैयार किया जाना)

वेतन एवं लेखा कार्यालय..... राज्य..... राज्य निदेशक का नाम.....

क्र.सं.	राज्य	आवंटित किए गए साहसिक शिविरों की संख्या	आयोजककेन्द्र का नाम	साहसिक शिविर की तिथि और अवधि और स्थान	लाभार्थियों की संख्या लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक- I के रूप में संलग्न करें (नाम, आयु, लिंग, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड संख्या)	साहसिक गतिविधियों के प्रकार	चयनित एजेंसी का नाम और पता	संदर्भ व्यक्तियों के नाम	गतिविधियों की दैनिक अनुसूची अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न करें (गतिविधियों के नाम, गतिविधियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, साहसिक संस्थान का नाम, संदर्भ व्यक्तियों की संख्या)	प्रतिभागी केन्द्र		
										नाम	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		
2										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		
3										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		

लेखा अधिकारी द्वारा तैयार ..... राज्य निदेशक द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित .....

नोट: कार्यान्वयन की यह योजना जल्द से जल्द ईमेल द्वारा मुख्यालय (project-nyks@gmail-com और को शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत की जानी चाहिए।

